

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रांत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन0ओ0सी0 / /2019-20

दिनांक: 17/08/2019

विषय: जे0वी0इण्टरनेशनल स्कूल, सलेमपुर रोड बस्ती, गजरौला, अमरोहा को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश नं. 1916/15-7-09-01(299)/2007. दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में, संयुक्त, मुरादाबाद न. मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.08.2019 में लिये गये निर्णय के अ. जे0वी0इण्टरनेशनल स्कूल, सलेमपुर रोड बस्ती, गजरौला, अमरोहा विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सं. विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्ध. के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्ही मर्दों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मर्दों पर शुल्क न चार्ज किया जायें।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में दिना. माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0वी0एस0ई0 नई से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं जायेंगे।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मा. विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 9- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनक पालन करेगी।
- 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रार पंजीकणों में रखा जायेगा।
- 11- राज्य सरकार एवं सी0डी0एस0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सामक्षता से पूर्व संस्था द्वारा युनिरिजल की जायेगी।
- 12- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी सा. प्र. पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र र. लिया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वारा सं. मण्डल, मुरादाबाद

पुंसां: एन0ओ0सी0 / 3433-3 न. / 2019-20 दिनांक: उक्तवत्।
प्रतिक्रिया:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2- जिलाधिकारी, अमरोहा।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
✓ प्रबन्धक, जे0वी0इण्टरनेशनल स्कूल, सलेमपुर रोड बस्ती, गजरोला, अमरोहा।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वारा सं. मण्डल, मुरादाबाद

PRINCIPAL

J.V. International School
Gajraula (Amroha)

Manager

J.V. International School
Gajraula (Amroha)